

[भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग


-----

नई दिल्ली, मार्च, 2023

### अधिसूचना

का. आ. \_\_\_\_\_ भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री बी. सी. पटनायक के स्थान पर श्री तबलेश पाण्डेय (जन्म तिथि 17.5.1965), कार्यपालक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई को दिनांक 1.4.2023 को या उसके बाद पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिवर्षिता की तारीख (अर्थात् 31.5.2025) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2,05,400 रुपए से 2,24,400 रुपए के वेतनमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

(फा.सं. ए-11011/11/2022-बीमा-I)

  
13/3/2023  
(जगजीत कुमार)  
निदेशक